न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 36/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/159

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. कंकु पुत्री उदाराम पत्नी चुन्नीलाल जाति मेघवाल निवासी सारण रोड सिरीयारी तहसील मावारड़ जंक्शन जिला पाली 2. तीजा पुत्री उदाराम पत्नी वालाराम जाति मेघवाल निवासी बेरा ईकाली ठाकुरवास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. ढगलाराम पुत्र उदाराम जाति सिचांणा 3. जीवाराम पुत्र उदाराम जाति सिचांणा।

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गौतम गिरी।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17/03/2025

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम सिंचाणा के नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 03.12.1993 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम सिचांणा पटवार हल्का गुडा सुरसिंह में स्व. उदाराम पुत्र नवला की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182 स्थित है। उदाराम के दो पुत्र व दो पुत्री अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 है। उदाराम के फौत हो जाने के पश्चात् उनके वारिसानों की जांच किये बगैर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया। मातहत अदालत ने प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित अपीलाधनी आदेश जारी किया, इसलिये जैर नामान्तरकरण को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट भाई–बहन है और अधीनस्थ न्यायालय ने जैर आराजी का फौतेदगी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण स्वीकृत समय उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुये जैर नामान्तरकरण पारित किया है, जो विधिनुसार है। इसलिये अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जैर अपील को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम सिंचाणा के नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 03.12.1993 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। प्रकरण में अपीलाण्ट्स का उदाराम की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस मुख्य रूप से यह उज्र किया कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 के पिता उदाराम की ग्राम सिचांणा तहसील मारवाड़ जंक्शन में कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 175, 176, 179, 181, 182, 178, 179 है। उदाराम फौत हो जाने पर जैर आराजी का फौतेदगी नामान्तरकरण केवल उनके पुत्रों के पक्ष में स्वीकृत किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट्स जो कि मृतक उदाराम की पुत्री है उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 156 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट, उदाराम के विधिक उत्तराधिकारी/वारिशान होने के तथ्य को भी किसी रूप में नकारा नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत हिन्दु के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान में उनकी पुत्रियां भी शामिल होती है परन्तु इस प्रकरण में मृतक उदाराम की विरासत में उनकी पुत्रियों को वंचित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार

अति. जिला कलेक्टर, पाली।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम सिंचाणा के नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 03.12.1993 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज/साक्ष्य की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली